हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज उनवानः– चिरंजी वगै0 बनाम जनता वगै0 मु0न0:– 10/2020, कि0मु0:– प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0टी0एक्ट	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीर मे जारी हुए

पत्रावली आज दिनांक 11.07.2023 को पेश हुई। प्रकरण में तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट निम्नानुसार पेश हुई है–

1. यह है कि प्रार्थीगण चिरंजी पुत्र भोमपाल जाति मीना वगै0 की खातेदारी भूमि वाके ग्राम बलरिया के खसरा नम्बर 3027 रकबा 1.25 है0 प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है। उक्त खसरा नम्बर पर **पहुँच का कोई वैकल्पिक रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है।**
2. यह है कि प्रार्थीगण की भूमि पर जाने के लिये **वैकल्पिक रास्ता नहीं होने से रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है।** उक्त खसरा नम्बर पर पहुंच के लिए खसरा नम्बर 3073 रकबा 0.35 है0, किस्म गै0मु0रास्ता से खसरा नम्बर 3028 की दक्षिणी ओर से आसानी से पहुंचा जा सकता है और उक्त रास्ता सबसे न्यूनतम दूरी पर है।
3. यह है कि खसरा नम्बर 3028 जनता देवी पत्नि उम्मेद, बन्शीलाल, मुकेश, मीठालाल, हरीश पिता कन्हैया जाति मीना निवासी बलरिया की खातेदारी भूमि है। अतः उक्तानुसार रास्ता दिये जाने की अभिशंषा के साथ तथ्यात्मक रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।
4. यह है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 3027 पर पहुंचने के लिए खसरा नम्बर 3028 में से 94मीटर लम्बा एवं 4मीटर चौड़ा कुल 376 वर्गमीटर भूमि की डीएलसी दर 479771 रूपये प्रति हैक्टेयर के हिसाब से 18028.50 की दुगुनी राशि 36057 रूपये संबंधित खातेदारान को दिलवाया जाकर रास्ता दिया जाना सम्भव है।

अतः उक्तानुसार रास्ता दिये जाने की अभिशंषा के साथ तथ्यात्मक रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

पत्रावली दर्ज की गयी एवं अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये। परन्तु अप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित रहे। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक–पक्षीय कार्यवाही की गयी। हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज एवं रिपोर्ट तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा का अवलोकन किया व प्रार्थी वकील की बहस पर मनन किया। मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड उपरोक्त खसरा नंबर पर पहुंच का कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है। **रास्ता या पहुँच मार्ग एक आवश्यक सुखाधिकार है, किसी भी भूमि पर पहुँच हेतु रास्ता होना आवश्यक होता है।** एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत किसी भी खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि तक पहुँच मार्ग दिया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थी का [illegible] स्वीकार किया जाना उचित है।

अतः प्रार्थी वकील की बहस [illegible] तहसीलदार [illegible] की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार, चौथ [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Upendra Kumar Sharma
Date: 2023.08.18 14:28:51 IST
Reason: SelfAttested

जाते है कि वे प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 3027 वाके ग्राम बलरिया तहसील चौथ का बरवाड़ा पर जाने आने हेतु इससे लगता हुआ खसरा नम्बर 3073 किस्म गै.मु.रास्ते से खसरा नम्बर 3028 के दक्षिण की ओर से 94 मीटर लम्बा एवं 4 मीटर चौड़ा कुल 376 वर्गमीटर भूमि जिसकी डीएलसी दर 479471 रूपये प्रति हैक्टेयर के हिसाब से 18028.50 की दुगुनी राशि 36057 रूपये अप्रार्थी खातेदारान को दिलवायी जाकर नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में गै0मु0 रास्ता दर्ज करवाया जाना सुनिश्चित करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Upendra Kumar Sharma
Date: 2023.08.18 14:28:51 IST
Reason: SelfAttested